प्रेस नोट
दिनांक 02.01.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में चल रहे अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डीवी/पीएसटी) स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश

गोण्डा। आज दिनांक 02.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में चल रहे अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण(डीवी/पीएसटी) स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों के प्रवेश द्वार, बायोमैट्रिक स्थल व डीवी/पीएसटी स्थल पर लगाए गए सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थिति को चेक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था (परीक्षण संचालन/सुरक्षा) के अधिकारियों को डीवी/पीएसटी की जो नियम एवं शर्ते है, उनके अनुरूप ही सभी अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण किए जाने तथा किसी भी प्रकार की कोई अनियमिता न होने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उनके कर्तब्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों से वार्ता कर उनकी सकुशलता जानी गयी तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की अनियमिता होने की स्थिति में तुरंत उनके समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु बताया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती–2023 की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 535 अर्ह अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जनपद गोण्डा में दिनांक 26.12.2024 से 04.01.2025 तक होना है। जिसमें दिनांक 26.12.2024 से चल रहे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में आज दिनांक 02.01.2025 तक कुल अवांटित 153 महिला अभ्यार्थियों में 146 महिला अभ्यार्थी उपस्थित व 07 महिला अभ्यार्थी अनुपस्थित रही। उपस्थित महिला अभ्यार्थियों में 02 महिला अभ्यार्थी अनफिट(अयोग्य) घोषित हुई तथा कुल अवांटित 235 पुरूष अभ्यार्थियों में 219 पुरूष अभ्यार्थी उपस्थित रहे तथा 16 पुरूष अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित पुरूष अभ्यार्थियों में 12 अभ्यार्थी अनफिट(अयोग्य) घोषित हुए।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.01.2025

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितों की फ्राड गयी 74,717/- रूपये की धनराशि करायी वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को दिया धन्यवाद-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ित के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **74,717/- रूपये** पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक 01. आलोक कुमार शर्मा पुत्र अमरनाथ शर्मा निवासी ग्राम चाँदारत्ती, पोस्ट खम्हरिया गोण्डा, 02. अरविन्द कुमार तिवारी निवासी माधोजोत गांव इटियाथोक, गोण्डा, 03. अभिषेक कुमार निवासी मोतीगंज जनपद गोण्डा, 04. राजे खान निवासी करनैलगंज, जनपद गोण्डा के अलग अलग तरीके से साइबर फ्राड के माध्यम से रूपये फ्राड़ं हो जाने की तुरंत शिकायत आवेदकों द्वारा साइबर क्राइम की वेबसाइड पर तत्काल आनलाइन शिकायत दर्ज करायी तथा साइबर सेफ पार्टल पर शिकायत अपलोड किया। जिसके जांच के क्रम में साइबर सेल टीम द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ितों के 74,717/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।